न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या–3, कन्नौज।

CNR NO–UPKJ01–002389–2018

राज्य प्रति बालकराम

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–37/2018

अपराध संख्या–1283/2017

धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम

थाना–कोतवाली कन्नौज, जिला कन्नौज।

जुर्म स्वीकृति बयान

नाम अभियुक्त–

पिता/पति का नाम–

उम्र–

पेशा–

निवासी–

थाना–

जनपद–

प्रश्न संख्या 1– यह कि आप **अभियुक्त (गैंगलीडर) बालकराम उर्फ घुरई ने** गैंग चार्ट में उल्लिखित **मुकदमा अपराध संख्या–1092/2017 धारा 457/380/411 भा०दं०सं०, अपराध संख्या–1089/17 धारा–136 विद्युत अधि० व 379 भादवि, अपराध संख्या–1033/2017 धारा–379/427 भा०दं०सं० का अपराध थाना** कोतवाली कन्नौज, जनपद कन्नौज के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कारित किया। उक्त अपराध को कारित करने के लिये आप द्वारा समाज विरोधी गैंग बनाया गया, आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध कर धन अर्जित किया गया एवं इस प्रकार समाज विरोधी क्रिया कलाप करके ऊपर वर्णित समस्त अपराध कारित किये गये। इस प्रकार आप अभियुक्त ने **धारा 3 (1) उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है। इस संबंध में क्या कहना है?

उत्तर–

प्रश्न संख्या 2– क्या आप उपरोक्त वर्णित धाराओं के अपराध को स्वेच्छया स्वीकार कर रहे है?

उत्तर–

प्रश्न संख्या 3– क्या आप अपना जुर्म स्वेच्छया, बिना किसी दबाव के स्वीकार कर रहे है?

उत्तर–

प्रश्न संख्या 4– क्या आपको कुछ और कहना है?

उत्तर–

सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक–14.11.2019

तृतीय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/

अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौज।

उपरोक्त जुर्म संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त **बालकराम** को अपराध अन्तर्गत धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना।

अभियुक्त का कथन है कि वह सदाचरण के साथ भविष्य में रहेगा। उसके द्वारा जो भी अपराध कारित किये गये है, उसके लिये वह शर्मिंदा है। उन अपराधों के आधार पर यह प्रकरण चला है। वह भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे कि पुनः उसे प्रस्तुत प्रकरण के अभियोग में आरोपित किया जाये। पूर्व के आपराधिक प्रकरण अनुभवहीनतावश कारित हुआ। भविष्य में वह अच्छे नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत करेगा। परिवार की देखभाल करने का दायित्व उसपर है। कम से कम दण्ड से उसे दण्डित किया जाये।

उपरोक्त अभिकथनों के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 30.07.2018 को आरोप विरचित किया गया है। जेल प्राधिकारी द्वारा अग्रसारित अभिलेखों के अनुसार, अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 21.09.2017 को जेल में दाखिल किया गया था एवं दिनांक 12.11.2019 तक **अभियुक्त लगभग 26 माह** से जेल में निरूद्ध है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं अभियोग की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

दोषसिद्ध **अभियुक्त बालकराम** को विशेष सत्र परीक्षण सं–37/2018 मुकदमा अपराध संख्या–1283/2017

अन्तर्गत **धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम** के अपराध के लिये **2 वर्ष 2 माह एवं 10 दिवस तथा 5000/– रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने, पर उसे अतिरिक्त तीन माह का कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मामलें में पूर्व से जिला कारागार में बितायी गयी अवधि धारा 428 दं०प्र०सं० के प्राविधानानुसार उपरोक्त दण्डादेश में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त का सजायवी वारण्ट बनाकर सजा भोगने के लिये अविलम्ब जिला कारागार भेजा जावे।

आदेश की एक प्रति निःशुल्क अभियुक्त को दी जावे।

दिनांक–14.11.2019

(सत्यजीत पाठक)
तृतीय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौज।